संख्या-77/2022/I/185290/2022/001-71-2099-234-2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की योजना-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कीम-ए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के अन्तर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के मानसिक चिकित्सा विभाग में मानव संसाधन विकास हेतु निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रायोजना की अनुमोदित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-13333/**योजना अनु**0/2022, **दिनांक** 04.03.2022 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू**0 577.00 **लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- **आपके उपरोक्त पत्र दिनांक** 04.03.2022 **में किए गए अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की योजना-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कीम-ए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के अन्तर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के मानसिक चिकित्सा विभाग में मानव संसाधन विकास हेतु निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रायोजना की पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू**0 1746.53 **लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू**0 577.00 **लाख अनुदान संख्या-**31 **से अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(1) कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0 के द्वारा अवमुक्त होने वाली धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाएं।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0 /कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 20.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराए जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाएं तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाएं।

(5) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0 का होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लिफ्ट, वाटर कूलर एवं डी0जी0 सेट बाट आउट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाट आउट कार्यों की लागत के संबंध में इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अत: कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएं।

(7) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाएं।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कार्य न तो पूर्व में स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,77,00,000 (रुपये पांच करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051200 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (के.100/रा.0-के.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-40/दस-2022-23, दिनांक- 21 जून, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-77/2022/।/185290/2022/001-71-2099-234-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. स्थानिय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 77
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/4/2022 4:42:00 PM
Change Number: 3
Last Saved On: 7/4/2022 4:54:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/4/2022 4:54:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 794 (approx.)
Number of Characters: 4,526 (approx.)